[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 44/2024-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितंबर, 2024

सा.का.नि. ..... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011, जो संख्यांक सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(i) क्रम संख्या 6 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| “6क. | 1006 10 90 | भूसी में चावल (धान या खुरदुरा) | 10% |
| 6ख. | 1006 20 00 | भूसी (भूरा) चावल | 10% |
| 6ग. | 1006 30 10 | चावल, पारबॉयल्ड | 10%” ; |

(ii) क्रम संख्या 7 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, यथा:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| “7क. | 1006 30 90 | अर्द्ध मिल्ड या पूर्ण मिल्ड चावल, पॉलिशड या ग्लेज़ड हो या नहीं (पारबॉयल्ड चावल और बासमती चावल के अलावा) | शून्य” । |

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फाइल संख्या 190354/152/2024-टीआरयू]

(अम्रीता टाइटस)
उप सचिव

टिप्पणीः - मूल अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011 को सा.का.नि. सं. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 13 सितम्बर, 2024, जिसे सा.का.नि. सं. 573 (अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।